

भाकृअनुप : भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई (देहरादून) - 248011

पत्रांक 1060 /2(112)/SCF/Store/Fish pond/2022-23

दिनांक: 30.09.2022

मछली पालन हेतु नीलामी नोटिस

संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में स्थित मछली तालाब जिसकी माप पूरा भरा होने पर - 0.5 हैक्टेयर (गहराई-3.85 मीटर) एवं 01 मीटर गहराई तक पानी होने पर - 0.25 हैक्टेयर की दिनांक 30.06.2024 तक के लिए मछली पालन हेतु नीलामी दिनांक 31.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे की जानी है। इच्छुक बोलीदाता इस खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तों हेतु कृपया संस्थान की वेबसाई www.cswcrtiweb.org देखें।

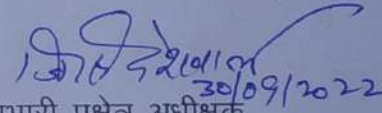
इस नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. मछली तालाब की खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 31.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. बोलीदाता को नीलामी में पंजीकरण हेतु रु0 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष में हो, जमा कराना आवश्यक होगा। नकद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।
3. नीलामी हेतु पंजीकरण कराते समय बोलीदाता अपने आधार कार्ड एवं बैंक की पासबुक की प्रति भी प्रस्तुत करेंगे।
4. एक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
5. मछली तालाब की खुली नीलामी दिनांक 30 जून 2024 तक के लिए की जायेगी। कार्य सन्तोषप्रद होने पर नीलामी की अवधि को एक वर्ष के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
6. मछली तालाब में पानी का स्रोत सिर्फ वर्षा का जल होगा। एक बार बोली छूटने के पश्चात मछली तालाब के माप एवं गुणवत्ता एवं पानी के स्रोत सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. यदि तालाब में अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है तो सफल बोलीदाता, प्रक्षेत्र द्वारा निर्धारित दर पर ट्यूबवेल से पानी ले सकता है।
8. यदि बोलीदाता द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने के तथ्य सामने आते हैं तो ठेका समय अवधि के दौरान संस्थान के सक्षम अधिकारी/निदेशक महोदय द्वारा आंशिक ठेके को निरस्त करने व ठेके से संबंधित जमा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा संबंधित ठेकेदार कानूनी कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार होगा।
9. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
10. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी।
11. बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेगे। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक/ल
30/09/2022

12. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट /पीओएस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा।
13. सफल बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धन राशि स्वीकृति आदेश जारी होने के सात दिवस के भीतर जमा करानी होगी। इस अवधि में शेष धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनका नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता को उपरोक्त शेष 75 प्रतिशत नीलामी राशि के साथ-साथ नीलामी ठेके का अनुबंध पत्र रू0 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड प्रस्तुत करना होगा। इस अनुबंध पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा नीलामी आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
15. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ-साथ जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के बाद आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही 60 दिन के बाद वापिस की जायेगी। ठेकेदार द्वारा मछली तालाब को किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
16. मछली तालाब में वर्षा ऋतु में पानी के प्रवेश एवं निकास मार्ग को सही से व्यवस्थित रखना होगा जिससे कि अतिरिक्त वर्षा जल तालाब से बाहर निकल सके।
17. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिबंधित मछलियों की प्रजातियाँ जैसे थाई मांगुर मछलियों को तालाब में पालने की अनुमति नहीं दी जायेगी, केवल संस्थान द्वारा अनुमति दी गई प्रजातियों की मछलियों को ही तालाब में पालने की अनुमति होगी।
18. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात मछली संग्रह, चारा, तालाब का रख-रखाव एवं देख-रेख, तालाब एवं उसके आस-पास की साफ-सफाई, चारों ओर घास की कटाई, ठेकेदार द्वारा लाये गये जाल द्वारा मछलियों को पकड़ना एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्यकलापों की जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। संस्थान इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा। मछलियों को किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
19. सफल बोलीदाता आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. सफल बोली दाता को मछलियों का चारा एवं अन्य सम्बन्धित सामान को रखने के लिए तालाब के आस-पास खाली स्थान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगी।
21. मछली तालाब में मछलियों के अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की देख-रेख में पूर्ण किये जायेंगे जिसके लिए सफल बोलीदाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
22. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र के पास जमा करानी होगी।

23. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
24. सफल बोलीदाता द्वारा मछलियों को पकड़ने तथा संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य-दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे के बीच ही कराना होगा तथा कार्यालय अवकाश दिवस में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होगी।
25. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा मछलियों की देख-रेख एवं फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
26. नीलाम किये गये मछली तालाब की देख-रेख एवं मछली पकड़ने के दौरान सफल बोलीदाता अथवा इसके कर्मचारी अथवा वाहन को होने वाले किसी भी क्षति की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
27. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में मछली के तालाब का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक की अनुमति/निगरानी में कर सकते हैं।
28. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।
29. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।
30. इस नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
31. निदेशक, भा0कृ0अ0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।


30/09/2022
प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई